

राजस्थान राज्य भण्डारव्यवस्था निगम

(सरकार का प्रतिष्ठान)

प्रधान कार्यालय, भवानी सिंह मार्ग, जयपुर

क्रमांक : प्र.का./प्रशा./पे-स्केल/97-98/पार्ट-III/ 527 दिनांक 19.01.2021

कार्यालय आदेश


सचालक मण्डल की बैठक संख्या 248 दिनांक 18.12.2020 कार्यसूची संख्या 13 में लिये गये निर्णय की अनुपालना में निगम में सहायक निदेशक एवं वरिष्ठ भण्डार प्रबन्धक के पद के वेतनमान में निम्नानुसार संशोधन किये जाने के आदेश जारी किये जाते हैं :-

पद का नाम	01.07.2013 से वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.14(1)एफ.डी (रूल्स)2013-II दिनांक 28.06.2013 के अनुसार स्वीकृत वेतनमान	01.01.2016 से राजकीय उपक्रम ब्यूरो की गाइड लाइन के पत्र दिनांक 27.11.2017 के अनुसार स्वीकृत वेतनमान
सहायक निदेशक	(पी.बी.-3) 15600-39100 जी.पी रु. 6000 (16)	पे-लेवल 15
वरिष्ठ भण्डार प्रबन्धक	(पी.बी.-3) 15600-39100 जी.पी रु. 5400 (15)	पे-लेवल 14

साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि उक्त प्रावधान/संशोधन से होने वाले नकद वित्तीय लाभ कार्मिकों को दिनांक 01.01.2021 से देय होंगे तथा दिनांक 01.07.2013 से 31.12.2020 तक के वेतन काल्पनिक (नोशनल) निर्धारित किये जावेंगे।


तदनुसार राजस्थान स्टेट वेयरहाउसिंग कारपोरेशन (स्टॉफ) रेगुलेशन, 1974 के रिक्रूटमेंट शिड्यूल के क्र.सं. 6 एवं 8 के क्र.स. 2 में पे-लेवल क्रमशः एल-15 एवं एल-14 संशोधन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।


(राज वर्धन)
संयुक्त निदेशक (प्रशा.)

प्रतिलिपि सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. निजी सहायक, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, प्रधान कार्यालय, जयपुर।
2. समस्त अधिकारीगण, प्रधान कार्यालय, जयपुर।
3. सहायक लेखाधिकारी (भुगतान), प्रधान कार्यालय, जयपुर।
4. समस्त वरिष्ठ भण्डार प्रबन्धक/भण्डार प्रबन्धक /प्रभारी, राज्य भण्डारगृह।
5. सम्बन्धित प्रकरण सहायक।
6. नोटिस बोर्ड, प्रधान कार्यालय।


संयुक्त निदेशक (प्रशा.)